संख्या:197/2019/593/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 07 मार्च,2019

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जारी शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-फर्रूखाबाद की विधान सभा क्षेत्र-फर्रूखाबाद के 49 कार्यों की शासनादेश संख्या-172/2019/489/35-4-2019 दिनांक 22 जनवरी,2019 द्वारा रू.495.683 लाख की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये रू.495.683 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश में दिनांक 22 फरवरी,2019 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 22 जनवरी,2019 अंकित हो गया है। अतः उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश की दिनांक 22 फरवरी,2019 पढ़ी जाये।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:197/2019/593(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, कानपुर।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फर्रूखाबाद।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फर्रूखाबाद।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in